Order Sheet [Contd] Case No 401/17, 402/17 बी०ए

	Case No <u>401 / 17</u> , 402 <u>/ 17</u> बीं0ए		
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary	
21.11.2017	पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश।	t	
2111112911	आवेदकगण राकेश एवं प्रकाश द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।		
	राज्य द्वारा श्री दीवानसिंह गुर्जर अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।		
	थाना गोहद के अपराध क्रमांक 229 <u>/17</u> अंतर्गत धारा 304बी, 201, 34		
	भा०दं०वि० एवं धारा ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त।		
	दोनों जमानत आवेदनपत्रों के साथ आवेदक राकेश के भाई एवं आवेदक प्रकाश		
_ /	के पुत्र अमिलाख सिंह के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। दोनों आवेदनों एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदकगण का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र		
A.	हैं, इस प्रकृति का अन्य आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च		
4	न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही निरस्त हुआ है।		
	उल्लेखनीय है कि राकेश की ओर से पृथक रूप से और प्रकाश की ओर से		
(2	पृथक रूप से आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। चूँकि दोनों आवेदन एक ही अपराध से संबंधित		
	हैं इस कारण दोनों आवेदनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।		
	आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा ४३८ जा०फौ० पर उभयपक्ष		
	के तर्क सुने गए।	121	
	आवेदकगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उनके द्व	δ.	
	ारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध झूठी घटना		
	के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आवेदक द्वारा आज तक कभी भी दहेज में सोना एवं एक लाख रूपए की मांग नहीं की गई है। आवेदक मृतिका का नाना ससुर एवं		
	मामा ससुर है। वह ग्राम खेरियागजू में निवास करते है, जबकि मृतिका अपनी ससुराल		
	ग्राम खेरिया में निवास करती है। आवेदकगण का वहाँ आना जाना नहीं है। दहेज मांगने		
	से आवेदकगण का कोई लेना देना नहीं है। झूठे अपराध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया		
	गया तो उनकी प्रतिष्ठा गिर जावेगी। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने का		
	निवेदन किया है।		
	अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त		
	किये जाने पर बल दिया गया है।		
	उभय पक्ष को सुने जाने तथा कैफियत एवं केस डायरी का अध्ययन करने से		
	स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार मृतिका सीतेश का विवाह चार वर्ष पूर्व अभियुक्त सोनू पुत्र अलवेल गुर्जर के साथ हुआ था। विवाह के बाद पति सोनू, सास गुड्डी, ताउ ससुर		
	राजाभईया, पप्, गुड्डा, चिया ससुर अतेन्द्र, नरेन्द्र, जेट जयपाल, देवर सुरजीत, धर्मेन्द्र		
	मृतिका सीतेश को दहेज में दो लाख रूपए व दस तोला सोने के आभूषण की मांग करते		
	हुए उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करते थे तथा घर से निकाल दिया था।		
	जिसकी रिपोर्ट भी थाना गोहद में की गई थी, उसके बावजूद भी पुनः दहेज की मांग		
	करते रहे। दिनांक 08.10.17 को इन लोगों के द्वारा सीतेश की मारपीट की गई जिसके		
	संबंध में इन लोगों से तथा रिस्तेदार राकेश व प्रकाश से बातचीत की गई, तब भी वे नहीं		

माने। दिनांक 09.10.17 को चतुरसिंह के पुरा गांव के बाहर एक पानी के गढ़ढ़े में सीतेश की अधजली लाश बरामद हुई। उक्त सभी ने सीतेश की हत्या की साक्ष्य को मिटाने के लिए नाते रिस्तेदारों के सहयोग से उसकी लाश को क्षित विक्षिप्त कर नष्ट कर दिया। उक्त घटना के संबंध में सीतेश के पिता गंगासिंह के द्वारा थाना गोहद में मर्ग इंटीमेशन देहातीनालसी के रूप में दर्ज कराई गई, जिसे जॉच करने पर उपरोक्त सभी लोगों के विरूद्ध अपराध पाए जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

आवेदक की ओर से राकेश एवं प्रकाश के संबंध में ग्राम खेरियागजू में निवास करने आधारकार्ड आदि प्रस्तुत किए गए है। परंतु जहाँ कि उक्त हत्या अथवा दहेज हत्या के अपराध को छिपाने के आशय से सीतेश की लाश के संबंध में साक्ष्य को नष्ट किए गया है। मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों, अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप तथा अपराध में आवेदकगण के योगदान को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदकगण राकेश एवं प्रकाश का अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं0प्र0सं0 निरस्त किया गया।

आदेश की प्रति केस डायरी सहित वापिस की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर) WILHOUT PARENT BUTTING द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश